कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गोरखपुर/देवरिया।

पत्रांक--एफ0एस0/निरीक्षण(पेट्रोल पम्प)/2022 दिनांकःअगस्त09 ,2022

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
जनपद–देवरिया।

विषय– भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड बैतालपुर डिपो के पत्र एन.ओ.सी./एन.आर.ओ. सिरवनिया (देवरिया) दिनांकः–11.06.2022 द्वारा अराजी सं0–1034, ग्राम–सिरसिया पवार, तहसील–देवरिया जिला–देवरिया, मे प्रस्तावित डीजल/पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

संन्दर्भ– आपका पत्र संख्या–260(3)/शस्त्र–2022 दिनांकः–26.07.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषय में मैसर्स द्वारा प्रेषित मानचित्र का अग्नि सुरक्षा एवं पेट्रोलियम एक्ट–1934 पेट्रोलियम नियम 2002 तथा **O.I.S.D-225** के मानकों के अनुरूप अग्निशमन अधिकारी देवरिया श्री मामचन्द बडगूजर द्वारा उक्त प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण आख्या दिनांकः–08.08.2022 के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नवत पायी गयीः–

1. प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल मानिचत्र के अनुसार–1225.00वर्ग मीटर है।
2. उक्त स्थल पर HSD-20KL तथा क्षमता MS-15KL का 01–01 टैंक प्रस्तावित है।
3. उक्त स्थल पर पर्याप्त चौडे मार्ग पर स्थित है, जॅहा पर अग्निशमन के वाहन आसानी से आवागमन करते हुये अग्निशमन का कार्य कर सकते है।
4. निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन गुजरी नहीं पायी गयी।
5. प्रस्तावित स्थल के आस–पास किसी भी ज्वलनशील पदार्थो का भण्डारण, दुकान, चिमनी निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था

मानचित्र में दर्शायी गये नोट कमांकः–1 से कमांक 24 तक के बिन्दुओं का अनुपालन करने के साथ–साथ निम्न बिन्दुओं का भी अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. केनोपी का निर्माण अस्थायी संरचना के रूप में अनुमन्य होगा जिसकी भूतल से ऊँचाई न्यूनतम 05 मी0 से कम न हो।
2. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0–2148–1646 के मानकों के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग मे एम0सी0बी0/ई0एल0बी0सी0 का प्रयोग किया जायें।
3. टैंक के लिये अलग–अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस मे जुडी नहीं होनी चाहि एवं ऊॅचाई 4 मी0 होनी चाहिए तथा उसके चारों तरफ 04 मी0 मे कोई निर्माण कार्य नही होना चाहिए।
4. लारी से टैंक मे तेल भरते समय Proper Earthing होना आवश्यक है।
5. स्टोरेज टैंक के पास आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 04 अदद क्षमता 09 कि0ग्रा0 के रखे जाये समस्त अग्निशमन उपकरण सदैव कार्यशील दशा मे होने चाहिए एवं उनका रख–रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।
6. डिस्पेंसर के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद स्टेण्ड रखी जाये।

Rajesh 1/9/22

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
गोरखपुर टैरीटरी
पो०-बैतालपुर, देवरिया (उ०प्र०)

7. अण्डर ग्राहण्ड टैंक के पास आई0एस0 मार्का फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर्स 02 अदद क्षमता 09 कि0ग्रा0 एवं आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 02–02 अदद क्षमता 10 कि0ग्रा0 के रखे जाये तथा 75 कि0ग्रा0 डी0सी0पी0 ट्राली एवं 50 ली0 फोम की ट्राली होनी चाहिए।
8. इलेक्ट्रिक्ल उपकरणों के पास आई0एस0 मार्का सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 01–01 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रखे जाये।
9. डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस0 मार्का सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 02 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रखे जाये तथा डीजी0 सेन्टर नियमानुसार होना चाहिए एवं टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।
10. लाइसेन्स एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटें फलेम फ्रूफ होनी चाहिए।
11. प्रत्येक डिस्पेन्सर पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।
12. प्रश्नगत परिसर मे हाउस किपिंग उच्चकोटि की बनायी जायें।
13. प्रश्नगत स्थल पर धुम्रपान निषेध बोर्ड लगे होने चाहिए।
14. फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर–9454418799 व 9454418800 पुलिस कन्ट्रोल का टेलीफोन नम्बर–100 स्थानीय पुलिस स्टेशन व नजदीकी नर्सिंग होम का टेलीफोन नम्बर बोर्ड पर अंकित किया जाय।
15. ग्राहको की जागरूकता के लिये निम्नंकित को बोर्ड पर अंकित कर लटकाये।

निम्नाकिंत का बोर्ड डिसपेन्सर के पास लगायें।

क्या करें	**क्या न करें**
1.मोबाइल बन्द रखें। 2.तेल भरते समय वाहन का इंजन बन्द रखें। 3.सुनिश्चित कर ले कि डिस्पेन्सर के पार अग्निशमन यंत्र रखे हुये हों। 4.तेल रिसाव/आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी स्टाप बटन दबायें।	1.वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न करे, जब तक वाहन के टैंक से नोजुल अलग न हो जायें। 2.धुम्रपान न करें। 3.खुली आग का प्रयोग न करें। 4.लारी से तेल टैंक में तेल भरते समय वाहनों में तेल न भरें।

उपरोक्त ढांचागत व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये पेट्रोलियम नियम 2002 तथा **O.I.S.D-225** मे उल्लिखित नियमों का कडाई से पालन किया जाने की शर्त के साथ अग्निशमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है, निर्माण हो जाने के उपरान्त उपयोग से पहले पुनः निरीक्षण कराकर अन्तिम स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

09/08/2022

(मामचन्द बड़गूजर)
अग्निशमन अधिकारी,
जनपद–देवरिया।

(देवेन्द्र कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गोरखपुर/देवरिया।

Rajesh 1/9/22

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
गोरखपुर टैरीटरी
पो०-बैतालपुर, देवरिया (उ०प्र०)